

पंजीयन आवेदन के कॉलम संख्या Land Details के क्रम में संलग्नक ।

कृपया पंजीयन आवेदन के संलग्नक का संज्ञान लें ।

Treadstone Limited द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन लिए उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1132/आठ-1-18-106 विविध/2018 दिनांकित-12.07.2018 के बिन्दु संख्या 2.3 के अनुसार परियोजना के विकास हेतु पंजीकृत कन्सोर्शियम एग्रीमेंट बही संख्या-4, जिल्द संख्या-193, के पृष्ठ 211 से 230 तक क्रमांक-233 पर दिनांक-30.12.2022, किया गया है, जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय सदर उन्नाव पर पंजीकृत है। (छायाप्रति संलग्न)

आपके सुलभ संदर्भ हेतु उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की छायाप्रति बिन्दु संख्या 2.3 को रेखांकित करते हुए, संलग्नित की जा रही है।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय:—प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-10/2017/2130/आठ-1-17-36विविध/2017, दिनांक 25.10.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना की प्रति प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त योजना में कतिपय संशोधन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) तैयार की गयी है।

2- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त योजना की प्रति विभागीय वेबसाइट <http://awas.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव

2. योजना के क्षेत्रफल के आधार पर विकासकर्ता की गत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ निम्नानुसार होनी चाहिए:-

योजना का क्षेत्रफल	गत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ
3 हेक्टेयर तक	रु. 2.00 करोड़
3 हेक्टे. से अधिक परन्तु 5 हेक्टे. तक	रु. 5.00 करोड़
5 हेक्टे. से अधिक परन्तु 10 हेक्टे. तक	रु. 10.00 करोड़

2.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु निजी विकासकर्ताओं द्वारा कन्सॉर्शियम बनाये जाने की स्थिति में कन्सॉर्शियम के समस्त सहभागी सदस्यों के मध्य संलग्नक-1 पर निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. का निष्पादन अनिवार्य होगा, जो सम्बन्धित जनपद के सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। कन्सॉर्शियम के लीड मेम्बर की अंशधारिता न्यूनतम 26 प्रतिशत होनी चाहिए।

2.4 विकासकर्ता को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/शासकीय अभिकरण द्वारा निषिद्ध/ब्लैकलिस्ट न किया गया हो। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा उक्त आशय का एफिडेविट (शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्नक-2 पर) प्रस्तुत करना होगा।

2.5 विकासकर्ता को लागू विधिक प्राविधानों के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी न पाया गया हो।

3. योजना का कार्य-क्षेत्र

3.1 योजना प्रदेश में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचित समस्त विकास क्षेत्रों, उ.प्र. (भवन निर्माण नियंत्रण) अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचित विनियमित क्षेत्रों, उ.प्र. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित विशेष विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर भी यह योजना क्रियान्वित की जा सकती है जिसके लिए उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'विनियामक अभिकरण' की भूमिका निभाई जाएगी तथा इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित योजना क्षेत्र को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाएगा।

3.2 योजना उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में भी यह योजना क्रियान्वित की जा सकती है जिसके लिए सम्बन्धित औद्योगिक विकास अभिकरण द्वारा 'विनियामक अभिकरण' की भूमिका निभाई जाएगी।

Handwritten signature